रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112026-277649
CG-DL-E-04112026-277649

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5759] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 5759] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2026

का.आ. 5991(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा३क की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि **महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग ५४३ के आमगाव-गोंदिया सेक्शन के कि.मी. २४+९८५ से कि.मी. २७+००७,३२+१३० से ३४+०९१ एवं ३९+४५५ से ४१+७२९ (कि.मी ३९+४५५ से कि.मी. ४१+७२९ सेक्शन-३) तक के वन शेत्र (बॅलन्स सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण (चौडीकरण दो/चार लेन पेव्ड शोल्डर का बनाने आदि)**अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उपधारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात **उपविभागीय अधिकारी और भूमि राजस्व अधिकारी,तालुका देवरी,जिल्हा गोंदिया** को लिखित रूप मे किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेप कर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा३ग की उपधारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग ५४३ के आमगाव-गोंदिया सेक्शन के कि.मी. २४+९८५ से कि.मी. २७+००७,३२+१३० से ३४+०९१ एवं ३९+४५५ से ४१+७२९ (कि.मी ३९+४५५ से कि.मी. ४१+७२९ सेक्शन-३) तक के वन शेत्र (बॅलन्स सेक्शन) तक के भूखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			**जिले का नाम: गोंदिया**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: आमगाव					
गांव का नाम: किंडगीपार					
1	10	निजी	सिंचित	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
2	103	निजी	सिंचित	0.135 (हेक्टेयर)	0.135
3	104	निजी	सिंचित	0.1095 (हेक्टेयर)	0.1095
4	110	निजी	सिंचित	0.132 (हेक्टेयर)	0.132
5	111	निजी	सिंचित	0.474 (हेक्टेयर)	0.474
6	121	निजी	सिंचित	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
7	122	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
8	123	निजी	सिंचित	0.243 (हेक्टेयर)	0.243
9	124	निजी	सिंचित	0.128 (हेक्टेयर)	0.128
10	167	निजी	असिंचित	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
11	168	निजी	सिंचित	0.1625 (हेक्टेयर)	0.1625
12	169	निजी	सिंचित	0.1125 (हेक्टेयर)	0.1125
13	170	निजी	असिंचित	0.129 (हेक्टेयर)	0.129
14	171	निजी	असिंचित	0.1665 (हेक्टेयर)	0.1665
15	177	निजी	सिंचित	0.1165 (हेक्टेयर)	0.1165
16	178	निजी	सिंचित	0.1105 (हेक्टेयर)	0.1105
17	179	निजी	सिंचित	0.103 (हेक्टेयर)	0.103

18	180	निजी	सिंचित	0.183 (हेक्टेयर)	0.183
19	190	निजी	सिंचित	0.084 (हेक्टेयर)	0.084
20	47	निजी	असिंचित	0.086 (हेक्टेयर)	0.086
21	48	निजी	सिंचित	0.118 (हेक्टेयर)	0.118
22	49	निजी	असिंचित	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
23	51	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
24	52	निजी	सिंचित	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
25	53	निजी	सिंचित	0.145 (हेक्टेयर)	0.145
26	54	निजी	सिंचित	0.171 (हेक्टेयर)	0.171
27	55	निजी	सिंचित	0.1105 (हेक्टेयर)	0.1105
28	93	सरकारी	असिंचित	0.088 (हेक्टेयर)	0.088
29	94	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
30	96	निजी	असिंचित	0.218 (हेक्टेयर)	0.218
31	99	निजी	असिंचित	0.114 (हेक्टेयर)	0.114
32	Nala	सरकारी	असिंचित	0.066 (हेक्टेयर)	0.066
33	Railway	सरकारी	असिंचित	0.211 (हेक्टेयर)	0.211
34	Road	सरकारी	असिंचित	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
35	Road	सरकारी	असिंचित	0.0165 (हेक्टेयर)	0.0165
गांव का नाम: गोरठा					
36	278	निजी	सिंचित	0.0115 (हेक्टेयर)	0.0115
37	306	निजी	सिंचित	0.379 (हेक्टेयर)	0.379
38	307	निजी	सिंचित	0.122 (हेक्टेयर)	0.122
39	327	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
40	328	निजी	सिंचित	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
41	330	निजी	सिंचित	0.104 (हेक्टेयर)	0.104
42	331	निजी	सिंचित	0.181 (हेक्टेयर)	0.181
43	332	निजी	सिंचित	0.181 (हेक्टेयर)	0.181
44	333	निजी	सिंचित	0.0295 (हेक्टेयर)	0.0295
45	334	निजी	सिंचित	0.269 (हेक्टेयर)	0.269

46	335	निजी	सिंचित	0.161 (हेक्टेयर)	0.161
47	336	निजी	सिंचित	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
48	337	निजी	सिंचित	0.255 (हेक्टेयर)	0.255
49	376	निजी	सिंचित	0.088 (हेक्टेयर)	0.088
50	380	निजी	सिंचित	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
51	381	निजी	सिंचित	0.0551 (हेक्टेयर)	0.0551
52	382	निजी	सिंचित	0.0235 (हेक्टेयर)	0.0235
53	383	निजी	सिंचित	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
54	384	निजी	सिंचित	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
55	385	निजी	सिंचित	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
56	386	निजी	सिंचित	0.5365 (हेक्टेयर)	0.5365
57	392	निजी	सिंचित	0.78 (हेक्टेयर)	0.78
58	398	निजी	सिंचित	0.2425 (हेक्टेयर)	0.2425
59	399	निजी	सिंचित	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
60	400	निजी	सिंचित	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
61	401	निजी	सिंचित	0.265 (हेक्टेयर)	0.265
62	Canal	सरकारी	असिंचित	0.119 (हेक्टेयर)	0.119
63	Canal	सरकारी	असिंचित	0.058 (हेक्टेयर)	0.058
64	Canal	सरकारी	असिंचित	0.0552 (हेक्टेयर)	0.0552
65	Road	सरकारी	असिंचित	0.052 (हेक्टेयर)	0.052
				Total	**8.8548**

[फा. सं. RW/NH-12014/73/2020-21/MAH(Z-4)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2026

S.O. 5991(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for **building (widening of Two-four lane with paved shoulder etc.), realignment,maintenance,management and operation of Balance Section in the stretch of land from Km. 24+985 to Km. 27+007, 32+130 to 34+091 & 39+455 to 41+729 (Km 39+455 to Km 41+729 Section-3) in Amgaon-Gondia Section of National Highway 543 in the District of Gondia in the State of Maharashtra.**

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer,Taluka Deori,District Gondia** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the Land Acquisition on Road of Balance Section in the stretch of land from Km. 24+985 to Km. 27+007, 32+130 to 34+091 & 39+455 to 41+729 (Km 39+455 to Km 41+729 Section-3) in Amgaon-Gondia Section of National Highway 543 in the District of Gondia in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			**District: GONDIA**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Amgaon					
Village: Kindgipar					
1	10	Private	Irrigated	0.013 (Hectare)	0.013
2	103	Private	Irrigated	0.135 (Hectare)	0.135
3	104	Private	Irrigated	0.1095 (Hectare)	0.1095
4	110	Private	Irrigated	0.132 (Hectare)	0.132
5	111	Private	Irrigated	0.474 (Hectare)	0.474

6	121	Private	Irrigated	0.42 (Hectare)	0.42
7	122	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
8	123	Private	Irrigated	0.243 (Hectare)	0.243
9	124	Private	Irrigated	0.128 (Hectare)	0.128
10	167	Private	Unirrigated	0.002 (Hectare)	0.002
11	168	Private	Irrigated	0.1625 (Hectare)	0.1625
12	169	Private	Irrigated	0.1125 (Hectare)	0.1125
13	170	Private	Unirrigated	0.129 (Hectare)	0.129
14	171	Private	Unirrigated	0.1665 (Hectare)	0.1665
15	177	Private	Irrigated	0.1165 (Hectare)	0.1165
16	178	Private	Irrigated	0.1105 (Hectare)	0.1105
17	179	Private	Irrigated	0.103 (Hectare)	0.103
18	180	Private	Irrigated	0.183 (Hectare)	0.183
19	190	Private	Irrigated	0.084 (Hectare)	0.084
20	47	Private	Unirrigated	0.086 (Hectare)	0.086
21	48	Private	Irrigated	0.118 (Hectare)	0.118
22	49	Private	Unirrigated	0.07 (Hectare)	0.07
23	51	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
24	52	Private	Irrigated	0.28 (Hectare)	0.28
25	53	Private	Irrigated	0.145 (Hectare)	0.145
26	54	Private	Irrigated	0.171 (Hectare)	0.171
27	55	Private	Irrigated	0.1105 (Hectare)	0.1105
28	93	Government	Unirrigated	0.088 (Hectare)	0.088
29	94	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
30	96	Private	Unirrigated	0.218 (Hectare)	0.218
31	99	Private	Unirrigated	0.114 (Hectare)	0.114
32	Nala	Government	Unirrigated	0.066 (Hectare)	0.066
33	Railway	Government	Unirrigated	0.211 (Hectare)	0.211
34	Road	Government	Unirrigated	0.007 (Hectare)	0.007

35	Road	Government	Unirrigated	0.0165 (Hectare)	0.0165
Village: Gortha					
36	278	Private	Irrigated	0.0115 (Hectare)	0.0115
37	306	Private	Irrigated	0.379 (Hectare)	0.379
38	307	Private	Irrigated	0.122 (Hectare)	0.122
39	327	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
40	328	Private	Irrigated	0.017 (Hectare)	0.017
41	330	Private	Irrigated	0.104 (Hectare)	0.104
42	331	Private	Irrigated	0.181 (Hectare)	0.181
43	332	Private	Irrigated	0.181 (Hectare)	0.181
44	333	Private	Irrigated	0.0295 (Hectare)	0.0295
45	334	Private	Irrigated	0.269 (Hectare)	0.269
46	335	Private	Irrigated	0.161 (Hectare)	0.161
47	336	Private	Irrigated	0.013 (Hectare)	0.013
48	337	Private	Irrigated	0.255 (Hectare)	0.255
49	376	Private	Irrigated	0.088 (Hectare)	0.088
50	380	Private	Irrigated	0.008 (Hectare)	0.008
51	381	Private	Irrigated	0.0551 (Hectare)	0.0551
52	382	Private	Irrigated	0.0235 (Hectare)	0.0235
53	383	Private	Irrigated	0.07 (Hectare)	0.07
54	384	Private	Irrigated	0.07 (Hectare)	0.07
55	385	Private	Irrigated	0.055 (Hectare)	0.055
56	386	Private	Irrigated	0.5365 (Hectare)	0.5365
57	392	Private	Irrigated	0.78 (Hectare)	0.78
58	398	Private	Irrigated	0.2425 (Hectare)	0.2425
59	399	Private	Irrigated	0.057 (Hectare)	0.057
60	400	Private	Irrigated	0.005 (Hectare)	0.005
61	401	Private	Irrigated	0.265 (Hectare)	0.265
62	Canal	Government	Unirrigated	0.119 (Hectare)	0.119

63	Canal	Government	Unirrigated	0.058 (Hectare)	0.058
64	Canal	Government	Unirrigated	0.0552 (Hectare)	0.0552
65	Road	Government	Unirrigated	0.052 (Hectare)	0.052
				Total	**8.8548**

[F. No. RW/NH-12014/73/2020-21/MAH(Z-4)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.04 14:00:09 +05'30'